

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1380 / 2013 / बीकानेर  
अपील संख्या-1402 / 2013 / बांसवाड़ा

मैसर्स ए.आर.एन्टरप्राइजेज, बीकानेर।  
बनाम

.....अपीलार्थी.

सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, बीकानेर।

मैसर्स पवन डिस्ट्रीब्यूटर्स, बांसवाड़ा।  
बनाम

.....प्रत्यर्थी.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बांसवाड़ा।

.....अपीलार्थी..

### खण्डपीठ

श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष

श्री मदन लाल, सदस्य

### उपस्थित :

श्री वी.सी.सोगानी,  
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,  
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28.01.2015

### निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा उक्त अपीलें क्रमशः उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स) बीकानेर व अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिन्हें आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्-पृथक् अपीलीय आदेश दिनांक 12.03.2013 व 07.03.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं तथा जो क्रमशः अपील संख्या 479/आरवैट/बीकानेर/2011-12 व अपल संख्या 18/वैट/2012-13/बांसवाड़ा के संबंध में हैं तथा जिनमें अपीलार्थी व्यवहारियों ने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त-बी, व वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बांसवाड़ा (जिन्हें आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24 व अधिनियम की धारा 23, 24, 55 व 58 के तहत निर्धारण वर्ष 2009-10 के संबंध में पारित पृथक्-पृथक् निर्धारण आदेशों क्रमशः दिनांक 24.01.2012 व दिनांक 20.01.2012 के जरिये तालिकानुसार कायम की गयी अंतर कर की राशि व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है।

तालिका

(मांग राशि रु. में)

अपील संख्या	अंतर कर	अनुवर्ती ब्याज
1380 / 2013	1,61,209 / -	35,452 / -
1402 / 2013	19,977 / -	5394 / -

लगातार.....2

2. चूंकि दोनों प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दु समान है। अतः प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही हैं।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा आलोच्य अवधि में बिक्रीत उत्पाद हाजमोला केण्डी का विक्रय अधिनियम की अनुसूची-IV के अनुसार 4 प्रतिशत मानकर, उक्त के विक्रय पर 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर, राजकोष में जमा करवाया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उक्त उत्पाद अधिनियम की अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या-165 में अंकित नहीं मानकर निर्धारण अधिकारियों ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद हाजमोला केण्डी अनुसूची-V के अनुसार 12.5 प्रतिशत/14 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अवधारित किया गया। अतः प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारियों द्वारा अपीलार्थी व्यवहारियों को आलोच्य अवधियों की विवादित बिक्री पर अन्तर कर व ब्याज आरोपण हेतु पृथक्-पृथक् कारण बताओ नोटिसेज जारी किये गये। जारी नोटिसेज की पालना में अपीलार्थी व्यवहारियों की ओर से जवाब प्रस्तुत किये गये। अन्ततः प्रस्तुत जवाबों पर विचार कर, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जवाबों को अस्वीकार किया जाकर, बिक्रीत उत्पाद को अधिनियम की अनुसूची-V के अनुसार 12.5/14 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अवधारित कर, अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज आरोपित कर, पृथक्-पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक 24.01.2012 व दिनांक 20.01.2012 पारित किये गये। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारियों के समक्ष पृथक्-पृथक् अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा जरिये पृथक्-पृथक् अपीलीय आदेशों के प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों को यथावत रखा गया। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा तालिकाअनुसार कायम रखी गयी कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों के विरुद्ध यह अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

5. अपीलार्थी व्यवहारियों की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अग्रिम अभिवाक् किया कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारियों द्वारा "हाजमोला केण्डी" को कन्फेक्शनरी मानकर आरोपित किया गया अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है क्योंकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद "हाजमोला केण्डी" अधिनियम की अनुसूची-4 में वर्णित

क्रम संख्या 165 "Digestive tablet, Churan Powder and Liquid" में अंकित उत्पाद है, जिस पर व्यवहारी द्वारा सही कर दर से कर की अदायगी की गयी है । कथन किया कि हाजमोला एक पाचक गोली है जो पूर्णरूप से एक आयुर्वेदिक उत्पाद है जिसमें विभिन्न प्रकार के हर्बल एवम् आयुर्वेदिक तत्वों का सम्मिश्रण है जबकि कन्फेक्शनरी सामान्य बोलचाल की भाषा में बिस्कुट एवम् मिठाई है जिसे तैयार करने के लिये चीनी, ग्लूकोज एवम् एसेन्स आदि वस्तुओं की आवश्यकता होती है। विद्वान अभिभाषक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मैसर्स हीरालाल मुरलीधर के निर्णय दिनांक 02.07.92(1993 XVI टैक्सवर्ल्ड पेज 32) में "कन्फेक्शनरी" की प्रकृति का निर्वचन करके इसको परिभाषित किया है जिसके अनुसार " **The word confectionery thus, includes within its ambit great varieties of articles usually sold in confectioner's shop and in such products, though sugar forms a larger part but it is a product which is prepared by an act of proper blending and mixing various articles in the sugar.**

6. विद्वान अभिभाषक ने यह तर्क भी दिया है कि व्यवहारियों द्वारा बिक्रीत प्रश्नगत "हाजमोला केण्डी" अनुसूची-4 के इन्द्राज संख्या 165 से हटकर अन्य किसी अनुसूची से शासित नहीं होती और "कन्फेक्शनरी" सम्बन्धी किसी निरसित पुरानी विधि का सिद्धान्त या प्रभाव उत्पाद पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता । अतः अपीलीय अधिकारियों द्वारा पारित निर्णय उचित नहीं है। अग्रिम तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारियों के प्रकरण अधिनियम की अनुसूची IV के इन्द्राज संख्या 165 ""Digestive tablet, Churan Powder and Liquid" से शासित है एवम् अधिनियम की अनुसूची-V के अनुसार करारोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं है । विद्वान अभिभाषक द्वारा अग्रिम कथन किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सामान्य उपयोगिता केवल पाचक गोली के रूप में ही उपयोग में लिये जाने के कारण, उक्त उत्पाद वेत अधिनियम की अनुसूची-IV की इन्द्राज संख्या 165 पर अंकित प्रविष्टि की श्रेणी में होने के कारण, उक्त बिक्रीत वस्तुयें 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं । अतः प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारियों द्वारा अपीलार्थी व्यवहारियों के उत्पाद को कन्फेक्शनरी होना अवधारित कर, उक्त अधिनियम की अनुसूची-V के अन्तर्गत 12.5/14 प्रतिशत की दर से कर उद्ग्रहीत योग्य होना मानकर, अन्तर कर व ब्याज आरोपित कर मांग राशियां कायम पूर्णतः अविधिक एवम् अनुचित है। जहां तक अनुसूचियों के इन्द्राजों में अंकित शब्दावली को लेकर





— 4 —अपील संख्या — 1380/2013/बीकानेर व अपीलसंख्या—1402/2013/बांसवाड़ा

कोई विवाद कर दर के संबंध में हो अथवा यदि कोई मतभिन्नता हो, तो ऐसी स्थिति में, माननीय न्यायालयों का निरंतर यह मत रहा है कि ऐसे इन्द्राजों का निर्वचन करदायी के हित में किया जाना विधिसम्मत है। वैकल्पिक रूप से तर्क दिया कि कर कानूनों में जो कुछ लिखा गया है उसके अतिरिक्त पढा जाना अनुज्ञेय नहीं है। इस संबंध में अभिवाक् किया कि “हाजमोला केण्डी” उपर्युक्त वर्णित अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या-165 उपर्युक्त वर्णित इन्द्राजों से अधिशासित होते हैं एवम् इस संबंध में विधायिका द्वारा किये गये इन्द्राज विशिष्ट है। अधिनियम की अनुसूची-V के इन्द्राज क्रम संख्या-1 की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि इसमें वस्तुयें, जो किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं है, उन पर कर की दर 12.5/14 प्रतिशत है, जबकि अपीलार्थी व्यवहारियों के प्रकरणों में उपर्युक्त वर्णित विवेचन व इन्द्राजों के अनुसार, अधिनियम की धारा 4 के आलोक में, 4/5 प्रतिशत की दर से ही कर दायित्व है। तर्क दिया कि सामान्य रूप से तथा वाणिज्यिक जगत में विवादित वस्तु “हाजमोला केण्डी” को “कन्फेक्शनरी” की श्रेणी में नहीं जाना जाता है तथा अनुसूची-IV के इन्द्राज में 165 कतिपय वस्तुओं को शामिल (include) करता है, जो उदाहरण के स्वरूप है न कि उन्हीं वस्तुओं तक सीमित है। जहाँ तक उत्पाद की रचना का प्रश्न है तो इसमें शक्कर (सुकोज) की मात्रा 75 प्रतिशत रही है और यह उत्पाद “कन्फेक्शनरी” की श्रेणी की वस्तु नहीं है। उक्त तर्क के समर्थन में प्रश्नगत हाजमोला केण्डी में पाये गये “अवयवों” (ingredients) के संबंध में केता कम्पनी मैसर्स डार इण्डिया लि, द्वारा जारी प्रमाण पत्र की ओर ध्यानकर्षित कर कथन किया कि “अवयवों” में शक्कर/चीनी के बेस के अलावा जो तत्व पाये गये हैं वे अग्रवत है:- काला नमक, सेंधा नमक, ईमली का सत्वा, जीरा, सुन्धी, काली मिर्च, पीपली, नवसादल आदि मिश्रित हैं। कथन किया कि उक्त विश्लेषक रिपोर्ट को अवर अधिकारियों ने बिना कारणों को अंकित किये ही नकार दिया है जो विधिविरुद्ध है। इसी क्रम में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिसमें हाजमोला केण्डी को आयुर्वेदिक दवाई होना प्रकट किया गया है।

7. विद्वान अभिभाषके ने अपने उक्त तर्कों के समर्थन में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स पनामा केमीकल वर्क्स बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया (1992) 62 ई.एल.टी. 241 को प्रोद्धरित किया कर कथन किया कि उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा हाजमोला केण्डी में 25

— 5 —अपील संख्या — 1380/2013/बीकानेर व अपीलसंख्या—1402/2013/बांसवाड़ा  
प्रतिशत अवयवों व 75 प्रतिशत चीनी की मात्रा होना अवधारित कर, उक्त को  
आयुर्वेदिक गोली होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है । कथन किया कि  
उक्त आदेश की पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया  
द्वारा दायर की गयी स्पेशल रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक .../93 को जरिये  
निर्णय दिनांक 18.04.1994 में की गयी है।

8. विशिष्ट रूप से अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांतों को  
प्रोद्धरित कर, निर्धारण अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर,  
अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने की प्रार्थना की  
गयी:—

(i) कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साईज, दिल्ली बनाम् ईशान रिसर्च लैब  
(प्रा.) लि, 2008 (230) ई.एल.टी. (सु.को.)

(ii) केडबरी इण्डिया लि. बनाम् सहायक आयुक्त, (2012) 51 वी.एस.  
टी. 130 (मद्रास)

(iii) वा.क.अ. प्रतिकरापवंचन बनाम् मैसर्स पार्क डेविस इण्डिया लि.  
(2002) 27 टैक्स अपडेट 314 (आर.टी.बी.)

9. पुनः समान बिन्दुओं पर माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ)  
द्वारा मैसर्स खण्डेलवाल ड्रग एजेन्सीज सी-5, गोविन्द मार्ग, जयपुर बनाम् वा.  
क.अ. वृत्त-एफ, जयपुर अपील संख्या 833 से 836/रु1996/जयपुर निर्णय  
दिनांक 29.12.2004 को प्रोद्धरित कर, कथन किया कि समान बिन्दुओं पर  
माननीय एकलपीठ द्वारा स्वाद गोली को आयुर्वेदिक गोली होने संबंधी निष्कर्ष  
अवधारित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की गयी थी।  
अतः उक्त प्रकरण प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों से पूर्णतः आच्छादित होने का  
कथन कर, अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने की प्रार्थना  
की गयी ।

10. प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने  
उपस्थित होकर गुणावगुण पर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत  
उत्पाद "टॉफियाँ ब्राण्डेड" प्रकृति की हैं जो कन्फेशनरी है, जो 165 नम्बर की  
एन्ट्री से अधिशासित नहीं होकर, "कन्फेशनरी गुड्स" होने के कारण  
अधिनियम की अनुसूची-5 के अनुसार 12.5/14 प्रतिशत से कर योग्य है और  
तदनुसार ही "कर-अन्तर" व उस पर देय ब्याज की गणना सही रूपेण किया  
गया है। अतः दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर,  
अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की

W

2-

लगातार.....6

गयी।

11. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। हमारे समक्ष विवादित बिन्दु यह है कि क्या अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तुयें "कन्फेक्शनरी" की श्रेणी में आती हैं कि नहीं? इस संबंध में दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक विनिश्चयों व आक्षेपित निर्णय का परीक्षण किया गया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी के आदेश में प्रश्नगत विभिन्न प्रकार की गोलीयों में पाये गये "अवयवों" (ingredients) में शक्कर के साथ विभिन्न वस्तुओं की समिश्रित अवस्था पायी गयी है और यह केता कम्पनी मैसर्स डाबर इण्डिया लि, द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भली भांति दर्शित किया गया है एवम् इन "अवयवों" में शक्कर/चीनी के अलावा जो तत्व एवम् किसी मात्रा में पाये गये हैं वे अग्रवत हैं:- काला नमक (20mg), सेंधा नमक (15mg), ईमली का सत्वा(33mg), जीरा(8mg), सुन्धी (6mg), काली मिर्च(3mg), पीपली(4mg), नवसादल(1mg) व शक्कर का बेस (Q.S.) आदि मिश्रित हैं।

12. जहां तक कन्फैक्शनरी की प्रकृति का निर्वचन का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मैसर्स हीरालाल मुरलीधर के निर्णय दिनांक 02.07.92(1993 XVI टैक्सवर्ल्ड पेज 32) में "कन्फैक्शनरी" का निर्वचन कर, उसे परिभाषित किया है जिसके अनुसार **The word confectionery thus, includes within its ambit great varieties of articles usually sold in confectioner's shop and in such products, though sugar forms a larger part but it is a product which is prepared by an act of proper blending and mixing various articles in the sugar.**

13. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस निर्णय में यह भी कहा है कि **"Because to fall within the category of confectionery, mixing and blending something other with 'sugar' is necessary....."**

14. इस संबंध में विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स केडबरी इण्डिया लि बनाम् एस्सिस्टन्ट कमिश्नर (सीटी) एसेसमेन्ट सर्किल-IV, चेन्नई एण्ड अनादर में समान बिन्दुओं अर्थात् "हाल्स" नामक गोली "आर्युवेदिक" दवाईयों की श्रेणी में आती है कि नहीं, में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों व इस संबंध में विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांतों की व्याख्या कर एवम् अवलम्ब लेते हुये निम्न प्रकार

– 7 –अपील संख्या – 1380/2013/बीकानेर व अपीलसंख्या-1402/2013/बांसवाड़ा  
निष्कर्ष अवधारित किये गये हैं:-

**15- In Naturalle Health Products (P) Ltd. v. Collector of Central Excise, Hyderabad reported in [2003] 1 RC 952 ; [2004] 9 SCC 136,** the Supreme Court considered the case of a manufacture of Vicks medicated cough drops and Vicks Vaporub throat drops and manufacture of " Sloan's Balm" and "Sloan's Rub", regarding the classification of the product. Their appeals were allowed and the product manufactured were clarified as medicine under the Central Excise Tariff Act. In the reported judgment, the **Supreme Court followed an earlier decision in Richardson Hindustan Limited v. Collector of Central Excise [1988] 35 ELT 424 (Trib) and at paragraph 41, it is held as follows (page 969 in 1 RC) :**

" 41. We are also of the opinion that when there is no definition of any kind in the relevant taxing statute, the articles enumerated in the tariff Schedules must be construed as far as possible in their ordinary or popular sense, that is, how the common man and persons dealing with it understand it. If the customers and the practitioners in ayurvedic medicine, the dealers and the licensing officials treat the products in question as ayurvedic medicines and not as allopathic medicines, that fact gives an indication that they are exclusively ayurvedic medicines or that they are used in the ayurvedic system of medicine, though is a patented medicine. This is especially so when all the ingredients used are mentioned in the authoritative books on ayurveda. As rightly contended by counsel for the appellants, the essential character of the medicine and the primary function of the medicine is derived from the active ingredients contained therein and it has certainly a bearing on the determination of classification under the **Central Excise Act. As held in Amurtanjan's case [1996] 9 SCC 413 ; [1995] 77 ELT 500 (SC),** the mere

hr

2-

लगातार.....8

fact that the ingredients are purified or added with some preservatives does not really alter their character."  
(Para-74).

16- Pudina and Nilgiris thailam, etc., are generally used for ayurvedic preparations and that is why, the Commissioner of Commercial Taxes, Chennai, has clarified that Halls tablets would fall under entry 19(1)(b) in part C of the First Schedule. As rightly contended by the learned counsel for the petitioner, the extent of quantity of medicament used in a particular product and the fact that the use of the medical element in the product was minimal, that would not detract that the same being classified as medicament. It is also not necessary that the said item must be sold under doctor's prescription and that the availability of the product across the counter in many shops is not relevant. Reference can be made to paragraph **22 in Puma Ayurvedic Herbal (P.) Ltd. v. Commissioner, Central Excise, Nagpur reported in [2006] 145 STC 200; [2006] 6 RC 328; [2006] 3 SCC 266, where the Supreme Court at paragraph 22, held as follows (page 209 in 145 STC) :**

**" 22. In order to be a medicinal preparation or a medicament it is not necessary that the item must be sold under a doctor's prescription. Similarly, availability of the products across the counter in shops is not relevant as it makes no difference either way."(Para-75).**

**The word " confectionary" is not defined under the Sales Tax Act.** In such circumstances, popular sense theory has to be applied, i.e., sense which the people are conversant with the subject-matter, with which, the statute is dealing would attribute to it. It is well-settled that the correct principle of construing the meaning of entries in a taxing Act, like the Sales Tax Act is to find out what transaction, its language, according to its natural meaning, fairly and squarely hits and not to assume what was intended to be done. What is relevant is not the dictionary meaning, but how the entries are understood in common parlance specially in commercial circles. It is the contention of the respondents that "Halls" is a

lv

2-



— 8 —अपील संख्या — 1380/2013/बीकानेर व अपीलसंख्या—1402/2013/बांसवाड़ा  
confectionary. In Annapurna Biscuit (Mfg.) Co. v. State of U.P. [1975] 35 STC 127 (All), the Allahabad High Court has explained what confectionary means and it reads hereunder (page 128 in 35 STC):


"...Confectionary is essentially a sweetmeat. In certain preparations to the sweet base are added chocolate, fruits, nuts and peanuts, eggs, milk products, flavours and colours..."


17- It is well-settled law that when Legislature itself gives the meaning of a term by a definition or Explanation, it has to be adopted in interpreting it whatever may be the popular understanding in State of Orissa v. Dinabandhu sahu sons reported in [1976] 37 STC 583 (SC). Only in the absence of a specific definition in the statute, the words or terms should be understood in the same way in which, they are understood in ordinary parlance in the area in which the law is in force by the people who ordinarily deal with the relevant goods. The principle that was first laid down by the Supreme Court in Ramavatar Budhaiprasad v. Assistant Sale Tax Officer, Akola [1961] 12 STC 286 (SC), has been followed in number of cases, such as, Delhi Cloth and General Mills Co. Ltd. v. State of Rajasthan reported in [1980] 46 STC 256 (SC), Atul Glass Industries (p.) Ltd. v. Collector of Central Excise [1986] 63 STC 322 (SC), Collector of Customs v. Swastic Woollens (P.) Ltd. [1989] 72 STC 201 (SC), United Copiex (India) Pvt. Ltd. v. Commissioner of Sales Tax [1996] 101 STC 536 (SC). It is also held that the word of everyday use must be construed not in scientific or technical sense but only in common parlance (if there is a conflict between the two) unless a contrary intention is clearly expressed in the statute. [Commissioner of Sales Tax v. Jaswant Singh Charan Singh [1967] 19 STC 469 (SC)].

18. इसी क्रम में माननीय न्यायाल द्वारा यह भी अवधारित किया है कि "As regard the decision in Commissioner of Customs & Central Excise v. Charminar Nonwovens Ltd. reported in [2004] 136 STC 356 (SC), there cannot be any quarrel over

the principle that in the matter relating to commodity classification, it has to be decided on the facts of each case and if any intricate technical issues are involved, it would be appropriate to direct the assessee to agitate his grievance before the statutory authority. But in the given case, except referring to a judgment in Gridharilal Sugar and Allied Industries Ltd. v. Commissioner of Central Excise (Appeals), Indore reported in [1997] 95 ELT 14 (MP), (1999) 56 ELT 9 and [1996] 83 ELT 50 (sic), and some orders referred to in the Central Excise Circular, dated September 10, 1997, no fresh materials seemed to have been discovered on further investigation or for that matter there is a change in the legal position. Even the changed legal position as regards the classification of the product "Halls", as held by the Central excise authority in his order, dated August 25, 1999, has been taken into consideration by the Commissioner of Commercial Taxes, Chennai, while issuing clarification to the petitioner. Therefore, the decision relied on by the respondent is inapposite to the facts of this case.

19. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में मैसर्स डाबर इण्डिया लि., गाजियाबाद लाईसेंस क्रमांक 50507/डी/8/77 दिनांक 03.07.1992, जो कि अपीलार्थी व्यवहारियों का विक्रेता व्यवहारी है, को प्रमाण पत्र जारी कर, उनके द्वारा विनिर्मित "हाजमोला केण्डी" को आयुर्वेदिक दवाई होना प्रमाणित किया गया है। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी की रिकॉर्ड पर उपलब्ध रेपर पर अंकित "हाजमोला केण्डी" के लिये प्रयोग किये गये अव्यय भी अंकित है जो इस प्रकार है:— Imli ka Satva 27.8mg., Sauvarchala Lavana 16.8mg, Saindhav Lavana 12.6 mg, Shveta Jirka 6.8mg, Sunthi 5 mg, Pippali 3.4mg, Maricha 1.17 mg, Narasara 0.8mg, Flavoured Syrup Base Q.S. जिससे विदित होता है कि उक्त समस्त अव्ययों का प्रयोग केवल पाचन गोली के बनाने में ही प्रयुक्त किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि ऊपर प्रोद्धरित माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स केडबरी इण्डिया लि बनाम एस्सिस्टन्ट कमिश्नर (सीटी) एसेसमेन्ट सर्किल-IV, चेन्नई एण्ड अनादर न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा हॉल्स की गोली को आयुर्वेदिक दवाइयों की श्रेणी में रखे जाने संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है जो कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद भी केवल पाचक गोली





 - लगातार.....10

के रूप में सामान्यतः प्रयोग की जाती है। इसी प्रकार का सिद्धांत कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा मैसर्स खण्डेलवाल इग एजेन्सी, जयपुर अपील संख्या 833 से 836/1996/जयपुर निर्णय दिनांक 29.12.2004 में प्रतिपादित किया गया है। अतः ऊपर वर्णित माननीय न्यायालय के प्राद्धरित न्यायिक दृष्टांत के आलोक में, अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा बिक्रीत उत्पाद "हाजमोला केण्डी" को अधिनियम की अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या-165 से आच्छादित होना अवधारित कर, उक्त पर 4/5 प्रतिशत की कर देयता निर्धारित की जाती है। फलस्वरूप, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार कर, निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग रीशियों को अपास्त किया जाता है ।

20. परिणामतः अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

21. निर्णय प्रसारित किया गया ।

  
28.1.2015  
(मदन लाल)  
सदस्य

  
( राकेश श्रीवास्तव )  
अध्यक्ष